



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2016—पौष 14, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

अधि. क्र. 1-एफ-1-22-2015-अठाह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 37 तथा 73 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 70 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेर-इन-काउंसिल/प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 2 में, उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“7” विभाग से अभिप्रेत है,—

(क) नगरपालिक निगम की स्थिति में—

- (एक) सामान्य प्रशासन विभाग;
- (दो) जल कार्य तथा सीवरेज विभाग;
- (तीन) लोक निर्माण तथा डियान विभाग;
- (चार) राजस्व विभाग;
- (पांच) वित्त एवं लेखा विभाग;
- (छह) विद्युत् एवं यांत्रिकी विभाग;
- (सात) स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग;

(आठ) यातायात एवं परिवहन विभाग;
 (नौ) योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग;
 (दस) शहरी गरीबी उपशमन विभाग;

(ख) नगरपालिका परिषद् की स्थिति में—

(एक) सामान्य प्रशासन विभाग;
 (दो) जल कार्य तथा सीवरेज विभाग;
 (तीन) लोक निर्माण उद्यान, विद्युत् एवं यांत्रिकी विभाग;
 (चार) राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग;
 (पांच) स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग;
 (छह) योजना, यातायात, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग;
 (सात) शहरी गरीबी उपशमन विभाग;

(ग) नगर परिषद् की स्थिति में—

(एक) सामान्य प्रशासन, राजस्व, वित्त एवं लेखा विभाग;
 (दो) जल कार्य सीवरेज, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग;
 (तीन) लोक निर्माण, उद्यान, विद्युत् एवं यांत्रिकी विभाग;
 (चार) योजना, यातायात, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग;
 (पांच) शहरी गरीबी उपशमन विभाग.”.

2. नियम 5 में,—

(एक) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) विभिन्न प्राधिकारियों में निम्नानुसार वित्तीय शक्तियां निहित होंगी:—

(एक) नगरपालिका निगम के मामले में—

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	पांच लाख से अधिक (3)	जनसंख्या पांच लाख तक (4)
1	नगरपालिका आयुक्त	रुपये दो करोड़ तक	रुपये चालीस लाख तक
2	महापौर	रुपये दो करोड़ से अधिक किन्तु रुपये पांच करोड़ से अधिक न हो.	रुपये चालीस लाख से अधिक किन्तु रुपये दो करोड़ से अधिक न हो.
3	मेरार इन-कॉउंसिल	रुपये पांच करोड़ से अधिक किन्तु रुपये दस करोड़ से अधिक न हो.	रुपये दो करोड़ से अधिक किन्तु रुपये पांच करोड़ से अधिक न हो.
4	निगम	रुपये दस करोड़ से अधिक	रुपये पांच करोड़ से अधिक

(2) नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की स्थिति में,—

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	नगरपालिका परिषद् (3)	नगर परिषद् (4)
1	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	रुपये एक लाख तक	रुपये पचास हजार तक
2	अध्यक्ष	रुपये एक लाख से अधिक किन्तु पांच लाख से अनधिक.	रुपये पचास हजार से अधिक किन्तु रुपये दो लाख से अनधिक.
3	प्रेसीडेंट-इन-कॉर्डिनेशन	रुपये पांच लाख से अधिक किन्तु बीस लाख से अनधिक.	रुपये दो लाख से अधिक किन्तु रुपये दस लाख से अनधिक.
4	परिषद्	रुपये बीस लाख से अधिक किन्तु तीन करोड़ से अनधिक.	दस लाख से अधिक किन्तु एक करोड़ से अनधिक.
5	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	रुपये तीन करोड़ से अधिक किन्तु पच्चीस करोड़ से अनधिक.	एक करोड़ से अधिक किन्तु पच्चीस करोड़ से अनधिक.
6	राज्य सरकार	रुपये पच्चीस करोड़ से अधिक	रुपये पच्चीस करोड़ से अधिक

परन्तु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, डिपोजिट वर्क अथवा राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के मामलों में, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नगरपालिक निगमों के आयुक्त या मेयर-इन-कॉर्डिनेशन तथा नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉर्डिनेशन को ऐसी बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगी.”।

(दो) उप नियम (5) में,—

(क) खण्ड (सात) में, शब्द “पच्चीस हजार” के स्थान पर, शब्द “एक लाख” स्थापित किए जाएं।

(ख) खण्ड (दस) में, तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका स्थापित की जाए अर्थात्:—

“अनुक्रमांक (1)	निकाय का प्रवर्ग (2)	व्यय (3)
1	पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम की स्थिति में।	रुपये पांच करोड़
2	पांच लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम की स्थिति में।	रुपये दो करोड़
3	नगरपालिका परिषद्	रुपये पच्चीस लाख
4	नगर परिषद्	रुपये दस लाख.”।

(ग) खण्ड (ग्यारह) में, शब्द "पचीस हजार" के स्थान पर, शब्द "एक लाख" स्थापित किए जाएं।

(घ) खण्ड (ग्यारह) में, उप खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ड) दो लाख रुपये से अधिक के माल, सामग्री एवं सेवाएं क्रय करने के लिए की प्रत्येक उपापन हेतु, निविदा सूचना राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की वेबसाईट पर डाउनलोड किया जाना अपेक्षित होगा तथा निविदाएं केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी।".

3. नियम 6 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की स्थिति में, निविदा समिति निमानुसार होगी:—

(क) तकनीकी बिड हेतु मूल्यांकन समिति—

(एक) संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास	—	अध्यक्ष
(दो) मुख्य नगरपालिका अधिकारी	—	सदस्य-सचिव
(तीन) कार्यपालन यंत्री, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा सहायक यंत्री और यदि सहायक यंत्री भी उपलब्ध न हो तो उपयंत्री।	—	सदस्य
(चार) उस विभाग का विभागाध्यक्ष जिससे कि कार्य से संबंधित	—	सदस्य

(ख) वित्तीय बिड हेतु मूल्यांकन समिति—

(एक) मुख्य नगरपालिका अधिकारी	—	अध्यक्ष
(दो) कार्यपालन यंत्री, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा सहायक यंत्री और यदि सहायक यंत्री भी उपलब्ध न हो तो उपयंत्री।	—	सदस्य-सचिव
(तीन) उस विभाग का विभागाध्यक्ष जिससे कि कार्य से संबंधित	—	सदस्य।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

अधि. क्र. 1-एफ-1-22-2015-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-22-2015-अठारह-3, दिनांक 4 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 4th January 2016

Not. 1-F-1-22-2015-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 37 and 73 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipalities (the Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President- in-council and the powers and functions of the Authorities) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENTS

1. In the said rules, rule 2, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(7) “Department” means—

(a) in case of Municipal Corporation—

- (i) General Administration Department;
- (ii) Water Works and Sewerage Department;
- (iii) Public Works and Garden Department;
- (iv) Revenue Department
- (v) Finance and Account Department;
- (vi) Electrical and Mechanical Department;
- (vii) Sanitation and Solid Waste Management Department;
- (viii) Traffic and Transport Department;
- (ix) Planning and Information Technology Department;
- (x) Urban Poverty Alleviation Department;

(b) in case of Municipal Council—

- (i) General Administration Department;
- (ii) Water Works and Sewerage Department;
- (iii) Public Works and Garden, Electrical and Mechanical Department;
- (iv) Revenue, Finance and Account Department
- (v) Sanitation and Solid Waste Management Department;
- (vi) Planning, Traffic, Transport and Information Technology Department;
- (vii) Urban Poverty Alleviation Department;

(c) In case of Nagar Parishad

- (i) General Administration, Revenue, Finance and Account Department
- (ii) Water Works Sewerage, Sanitation and Solid Waste Management Department;
- (iii) Public Works and Garden, Electrical and Mechanical Department;
- (iv) Planning, Traffic and Transport and Information Technology Department;
- (v) Urban Poverty Alleviation Department.”.

2. In the rule-5,—

(i) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) the financial powers shall be vested in the various authorities as under:—

(i) In case of Municipal Corporation—

S. No.	Authority	Population	
		Above 5 lacs (3)	Upto Five lacs (4)
1	Municipal Commissioner	Upto two crores	Upto forty lacs
2	Mayor	Exceeding rupees two crore but not exceeding rupees five crores.	Exceeding rupees forty lacs but not exceeding rupees two crores.
3	Mayor-in-Council	Exceeding rupees Five crore but not exceeding rupees ten crores.	Exceeding rupees two crore but not exceeding rupees five crores.
4	Corporation	Exceeding rupees ten crore.	Exceeding rupees five crore.

(ii) In case of Municipal Council and Nagar Parishad:—

S. No.	Authority	Municipal Council (3)	Nagar Parishad (4)
1	Chief Municipal officer	Upto rupees One Lac	Upto rupees Fifty Thousand
2	President	Exceeding rupees One Lac but not exceeding rupees Five Lacs.	Exceeding rupees Fifty Thousand but not exceeding rupees Two Lacs
3	President-in-Council	Exceeding rupees Five Lacs but not exceeding rupees Twenty Lacs.	Exceeding rupees Two Lacs but not exceeding rupees Ten Lacs.
4	Council	Exceeding rupees Twenty Lacs but not exceeding rupees Three Crores.	Exceeding rupees Ten Lacs but not exceeding rupees One Crore.
5	Commissioner, Urban Administration and Development.	Exceeding rupees Three Crores but not exceeding rupees Twenty Five Crores.	Exceeding rupees One Crore but not exceeding rupees Twenty Five Crores.
6	State Government	Exceeding rupees Twenty Five Crores.	Exceeding rupees Twenty Five Crores.

Provided that in case of Externally Aided Projects, Centrally Sponsored Schemes, Deposit Works or specific State Government Projects, the State Government may, by order, authorise the Commissioner or the Mayor-in Council of Municipal Corporation and Chief Municipal Officer or the president-in-Council of Municipal Council/ Nagar prashad to exercise such enhanced financial powers, as it may deem fit.”

(ii) In the sub rule (5),—

(a) in clause (vii), for the words “twenty five thousand”, the words “one lac” shall be substituted.

(b) In clause (x), for the table, following table shall be substituted, namely:—

“S. No.	Category of the Body	Expenditure
(1)	(2)	(3)
1	In case of Municipal Corporation having more than five lacs population.	Rs. Five crores
2	In case of Municipal Corporation having less than five lacs population.	Rs. Two crores
3	Municipal Council	Rs. Twenty five lacs
4	Nagar Parishad	Rs. Ten lacs.”.

(c) in clause (xi), for the words “twenty five thousand”, the words “one lac” shall be substituted.

(d) in clause (xi), for sub clause (e), the following sub clause shall be substituted, namely:—

“(e) For every procurement to purchase goods, material and services of more than two lacs, the tender information would be required to be uploaded in website of the State Government and the Local Bodies and tenders shall be invited only through E-tendering.”.

3. In rule 6, for sub rule (1), the following sub rule shall be substituted namely:—

“(1) In case of Municipal Council and Nagar Parishad the tender committee shall be as under:—

(a) Evaluation Committee for Technical bid—

- (i) Divisional Executive Engineer, Urban Administration and Development — Chairman
- (ii) Chief Municipal Officer — Member Secretary
- (iii) Executive Engineer, if available, Otherwise Assistant Engineer and if the Assistant Engineer is also not available then Sub-Engineer. — Member
- (iv) The Head of Department of such Department to which the work relates — Member

(b) Evaluation Committee for Financial bid—

- (i) Chief Municipal Officer — Chairman
- (ii) Executive Engineer, if available Otherwise Assistant Engineer and if the Assistant Engineer is also not available then Sub-Engineer. — Member Secretary
- (iii) The Head of Department of such Department to which the work relates — Member.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRAMOD GUPTA, Dy. Secy.